

क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

डी.डी.ए. शॉपिंग-कम-आफिस कम्प्लेक्स, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

संख्या : डी/जोन- 4 /बीमा-3 /डि०22 /11-40144-101

दिनांक 9 APR 2003

सेवा में []

मैसर्स **ADVENTURE SECURITY SERVICES (REGD.)**

G-11/126, SECTOR-15, ROHINI

DELHI-85.

विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (यथासंशोधित) की धारा 2(5) के अंतर्गत कर्मचारियों तथा फैक्टरियों/स्थापनाओं का पंजीकरण।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अधिसूचना सं० एस०एफ०-12(36) दिनांक 1-2-52 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (क्षेत्र) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन शामिल सभी फैक्टरियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया गया है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिनियम के उपबंधों का विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन अन्य स्थापनाओं पर नीचे उल्लिखित तारीख से किया है।

स्थापनाओं का विवरण

अधिसूचना संख्या
तथा तारीखक०रा० बीमा निगम
(एसिक) योजना के
विस्तार की तारीख

1. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई परिसर (उसके उप-क्षेत्रों सहित) में जहाँ दस अथवा इससे अधिक लेकिन किसी भी दशा में 20 से कम व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे तथा उसके किसी भी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारणतया विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है।

एफ-27(2)/75-लैब
28-3-75

29-3-75

2. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई व्यक्ति परिसर में नियोजित है अथवा नियोजित था तथा उसके किसी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारण तथा विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है।

-वही-

-वही-

3. निम्नलिखित स्थापनाएं जहाँ पिछले 12 महीनों के दौरान किसी तारीख को 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे जैसे :-

-वही-

-वही-

1. होटल 2. रेस्तरां

3. पूर्व दर्शन-थियेटर सहित सिनेमा

4. सड़क मोटर परिवहन

5. समाचार पत्र परिवहन

6. दुकानें

एफ-27(2)/74-लैब

28-3-76

दिनांक 26-3-76

एफ-28(20)/88/आई.एम.पी.लैब

2-10-88

दिनांक 30-9-88

अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन ऐसी किसी फैक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना आवश्यक है जहाँ उसके अध्याय 4 के अनुसार मुख्य नियोजक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को योजना में शामिल कराए तथा अधिनियम के अधीन उनके संबंध में अंशदान की अदायगी

The Registration of a contractor/
immediate employer independently
under the ESI Act as a shop or as a
factory with code Number does not



ADVENTURE SECURITAS PVT. LTD.

CSC-5, Shop No. 3 & 4, 1st Floor, DDA Mkt.,
Sector-14, Rohini, Delhi-110085 (INDIA)
Ph. : 011-31304344 Telefax : 011-27554345
E-mail : info@adventurespl.com
Website : www.adventurespl.com

11-20-40164-1601

23/02/2007

To,
The Joint Director
E.S.I.C. (N.D.O.),
D-11, Sector - 07,
Rohini New Delhi.



Subject: Chang of Company name & Address.

Sir,

We are pleased to inform you that our company M/s Adventure Security Services (Regd.). We are making compliance on above name and address but our company is partnership Firm now become a Private Limited Company w.e.f. April 2007. Our Partners would be same in Pvt. Ltd. Company.

We have change our company name M/s Adventure Securitas Pvt. Ltd. & New Address CSC-5, Shop No. 3 & 4, 1st Floor DDA Market Sector – 14 Rohini Delhi..

Kindly make a note of the same in your records for future reference.

Thanking You
Very truly yours

Managing Director
Adventure Securitas Private Limited.

